संख्या- 4 /2016/181/छत्तीस-2-2016-03(बी0ओ0सी0डब्लू)/2016

प्रेषक,

डॉं अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. श्रमायुक्त,
उ0प्र0कानपुर।

2. निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय,
लखनऊ।

श्रम अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः 31 जनवरी, 2016

विषयः- सहायक निदेशक/जिला रोजगार सहायता अधिकारी एवं सहायक सेवायोजन अधिकारी को भवन निर्माण कर्मकारो के सम्बन्ध में सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी घोषित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-318/2006 में पारित निर्णय के क्रम में भारत सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 23-09-2015 के द्वारा उ0प्र0 के समस्त निर्माण श्रमिकों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में भवन एवं अन्य सन्निर्माण (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) के अन्तर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण कराने का निर्देश दिया गया। तत्क्रम में शासनादेश संख्या-18/2015/1621/छत्तीस-2-2015-7(जी)/2015,दिनांक 29-12-2015 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में निर्धारित अवधि में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन एवं अधिष्ठानों के पंजीयन के लिए विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः इस महत्वपूर्ण विशेष अभियान के अन्तर्गत अल्प अवधि में समस्त निर्माण श्रमिकों व अधिष्ठानों के पंजीयन आदि कार्यो को सम्पादित कराने हेतु जिन जनपदों में सहायक श्रमायुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए भवन एवं अन्य सन्निर्माण (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम,1996 एवं तत्संबंधी नियमावली,2009 के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट-एक में अंकित 38 जनपदों के श्रमिक पंजीयन, अधिष्ठान पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु सहायक निदेशक/जिला रोजगार सहायता अधिकारी को सहायक श्रमायुक्त तथा परिशिष्ट-दो में अंकित 6 जनपदों के श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण के लिए सहायक सेवायोजन अधिकारी को श्रम प्रवर्तन अधिकारी एतद्द्वारा घोषित किया जाता है।

संलग्नक. यथोक्त। भवदीया,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 4 /2016/181(1)/छत्तीस-2-2016,तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन।
(2) समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
(3) समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
(4) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0
(5) संबंधित समस्त अधिकारीगण।
(6) सचिव,उ०प्र०भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,लेखराज मार्केट,इन्दिरा नगर,लखनऊ।
(7) समस्त अपर/उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त, उ0प्र0।
(8) गार्ड फाइल

आज्ञा से

(योगेश कुमार)
विशेष सचिव।

परिशिष्ट-एक

श्रमिक पंजीयन, अधिष्ठान पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु सेवायोजन विभाग के जनपदीय अधिकारियों यथा सहायक निदेशक/जिला रोजगार सहायता अधिकारियों को सहायक श्रमायुक्त घोषित किये जाने वाले जनपद

1-सिद्धार्थनगर	2-संत कबीरनगर	3-पीलीभीत	4-अम्बेडकरनगर
5-बहराइच	6-अमरोहा	7-ललितपुर	8-बलिया
9-औरैया	10-श्रावस्ती	11-इटावा	12-चित्रकूट
13-महाराजगंज	14-एटा	15-बलरामपुर	16-कुशीनगर
17-कन्नौज	18-हाथरस	19-आजमगढ	20-सीतापुर
21-कानपुर देहात	22-जालौन	23-महोबा	24-हमीरपुर
25-बान्दा	26-बागपत	27-मैनपुरी	28-संतरविदासनगर
29-कौशाम्बी	30-प्रतापगढ	31-बदायूं	32-चन्दौली
33-बाराबंकी	34-देवरिया	35-फर्रूखाबाद	36-लखीमपुर-खीरी
37-गाजीपुर	38-मऊ		

परिशिष्ट-दो

श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु सेवायोजन विभाग के सहायक सेवायोजन अधिकारियों को श्रम प्रवर्तन अधिकारी घोषित किये जाने वाले जनपद

01-श्रावस्ती	04-बागपत
02-देवरिया	05- बलिया
03-बलरामपुर	06-कुशीनगर